

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

गोपाल सिंह बनाम सुमन देवी वगैरे

CJCMC-2025/9

मुकदमा नम्बर :- 03/2025

वाद पत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

विशेष विवरण

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	02.01.2025	वकील वादी ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट दफतर हो चुकी है। धारा 80(2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलवी की जाकर पत्रावली दिनांक 10.01.2025 को पेश हो। <p style="text-align: right;">[Signature] कलक्टर (जयपुर)</p>
	10/01/25	वकील दावा अलग कर दोहरा / कर्टे स्थिति में है। नए पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 20/1/25 को पेश हो। <p style="text-align: right;">[Signature]</p>
	20/1/25	व. वाडी अ. पत्रावली वस्तुतः तलवी के खतर-आगामी डिलीज 14/2/25 को पेश हो। <p style="text-align: right;">[Signature] कलक्टर (जयपुर)</p>
	14/2/25	प्रसाइडिस ऑफिसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अंतिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20/3/25 को पेश हो। <p style="text-align: right;">[Signature]</p>
	20/3/25	व. वाडी अ. पत्रावली वस्तुतः तलवी के खतर-आगामी डिलीज से पहले प्र. अ. के खतीरे-पेश के। अर्थात् मुनिवाडीगण के तलवी अर्थात् प्र. अ. से खतरा के तलवी आदेश डिलीज जाते हैं पत्रावली डिलीज तलवी डिलीज 07/4/25 को पेश हो। <p style="text-align: right;">[Signature] सहायक कलक्टर (जयपुर)</p>
	07/4/25	पत्रावली पेश है। न्यायालय के लक्ष्य समाप्त होगे तब वकील वाडी के खतर-वार न्यायालय डिलीज गयी वकील वाडी असाफल्य व न्यायालय अनुपस्थित है अतः पत्रावली अर्थात् वाडी असाफल्य में खतरा के जाते हैं पत्रावली दर्ज नम्बर से तलवी तथा डिलीज डिलीज है। <p style="text-align: right;">[Signature]</p>

सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)